EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Pr.Chief Personnel Officer
द्वितीय तल, - 751 017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No.157/2018
पूतरे/कार्मिक/आर/ECoR/Pers/R

RBE NO-132/2018
Date: 26.09.2018

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकरी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी (नि) /भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: **Grant of Dearness Allowance to Railway employees – Revised Rates effective from 01.07.2018**

******

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं PC-VII/2016/I/7/2/1 दिनांक 10.09.2018 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's Lr.No PC-VII/2016/I/7/2/1 dated 10.09.2018 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

(Gundicha Sethy)
Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)
For Pr. Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
2) मुकाधि/मुकाधि (प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
3) उप मुख्य प्रबंधक (सू.प्रौ), उप मुकाधि (औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि (इंजी.)
4) वकाधि (मुख्या.), वकाधि (स्टाफ), वकाधि (राज. एवं न्याया.)
5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि. (मुख्या.-1), सहा.कार्मिक अधि. (कल्याण), सहा.कार्मिक अधि. (बिल), सहा.कार्मिक अधि. (भर्ती

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No.- 116 **RBE No.:132/2018**

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1 **New Delhi, dated: 10 .09.2018**

The General Manager/CAOs(R),
All India Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: - Grant of Dearness Allowance to Railway employees – Revised Rates effective from 01.07.2018.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter RBE No 39/2018 dated 19.03.2018 (F. No. PC-VII/2016/I/7/2/1) on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of **7% to 9%** of the basic pay with effect from **1st July, 2018**.

2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Rule 1303 (FR 9(21)), Indian Railway Establishment Code, Volume –II (Sixth Edition – 1987) – Second Reprint 2005.

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of September, 2018.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(S. Balachandra Iyer)
Executive Director, Pay Commission-II
Railway Board

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1 **New Delhi, dated: 10 .09.2018**

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

RB-3739
क्र.सं / Sl.No.......
दिनांक / Date....14/9/18
आद्याक्षर / Initial.......

2006
17/9/18

PCPO
मु.का.अ.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 116

आरबीई सं.:132/2018

फाइल सं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक:10 .09.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

ECoR

विषय:- रेलवे कर्मचारियों को 01.07.2018 से प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.03.2017 के पत्र आरबीई सं. 39/2018 (फाईल.नं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1) का अवलोकन करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को **01 जुलाई, 2018** से मूल वेतन के 7% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 9% किया जाएगा।

2. सरकार दवारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का आशय पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन से है, परंतु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

3. महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा और इसे नियम 1303 (एफआर 9(21)), भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण - 1987) - दूसरा नया पुनर्मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्तों के कारण भुगतान, जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चत्तर रुपए में पूर्णांकित किया जाए और 50 पैसे से कम की राशि पर ध्यान न दिया जाए।

5. महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान सितंबर, 2018 के वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एस. बालाचंद्र अय्यर)
कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड